

19.08.2025 / प्रादेशिक समाचार / 9.20 बजे

प्रादेशिक समाचार सुनिए

मानसून सत्र

प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू साप्ताहिक शासकीय कार्य सूची के बारे में वक्तव्य देंगे और विभिन्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखेंगे। नियम-62 के तहत विधानसभा सदस्य लोकेंद्र कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला डोगरी और विकास खंड निरमंड को डि नोटिफाई करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा केवल सिंह पठानिया बी पी एल चयन में सरकार द्वारा लाए गए मापदंडों में छूट के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में नियम 67 के तहत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

चर्चा

इससे पहले कल सदन में नियम 67 के तहत चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुकदमों से विपक्ष को दबाना चाहती है और आपदा में अवसर ढूँढने का प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से कारगर ढंग से नहीं निपट पा रही।

ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है ये सच्चाई है जिन लोगों ने अपनी मशीनें फ्री ऑफ कॉस्ट देकर सड़कों खोली हैं उन सड़कों पर अधिकारियों पर दबाव डालकर टेंडर लगाने के लिए कहा जा रहा है हमारे टेंडर लगा दीजिए उसमें आपदा में भी अवसर ढूँढने के प्रयास किए जाए रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्र सिराज पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन दिलाने में सहयोग करे तो सरकार हर जगह शेल्टर होम बनाने को तैयार है।

पहली को मुझे पता कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में खाने की कमी है और मैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से जबकि मना कर रहे थे पायलट कि हम नहीं जाएंगे मैंने कहा कि उनको राशन छोड़ना है आप चलिए मैं साथ चलता हूँ। आप नहीं जा सकते और कोई भी रास्ता नहीं खुला होगा तो पहले पहुंचने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री वहां थे हम शेल्टर होम बनाने को तैयार हैं पैसा देने को भी तैयार हैं आप जहां कहेंगे वहां शेल्टर होम बनाएंगे।

मौसम

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरुआत बादलों के बीच हल्की धूप के साथ हुई है। हालांकि कुल्लू व किन्नौर जिले में हल्की वर्षा का क्रम रुक-रुककर जारी है। कुल्लू जिला की लग वैली में बीती रात बादल फटने की घटना में कंडोन गांव में दो दुकानें और एक पुल बहने का समाचार है। इसके अलावा सरवरी नदी भी उफान पर है। इस बीच कुल्लू प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए आज जिला के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इधर कांगड़ा जिला में पौंग बांध का जल स्तर लगातार बढ़ने से स्थिति गंभीर होती जा रही है जिसे देखते हुए बी बी एम बी ने कल सुबह 75 हजार क्यूसिक पानी छोड़ने की बात कही है। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पानी को चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा ताकि निचले इलाकों में अधिक नुकसान न हो सके। हालांकि उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर शिमला के बैनमोर रामचंद्र चौक में बीती रात भारी भू स्खलन के चलते करीब 4 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। हालांकि बीती रात ही एहतियात के तौर पर इन भवनों को खाली करवा दिया गया है और 30 से 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इस बीच मौसम विभाग केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी एक-दो दिनों में मानसून की वर्षा में कमी देखने को मिलेगी।

धार्मिक यात्रा

चंबा जिले में चल रही पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्षा की स्थिति के मददेनजर यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत यात्रियों से आग्रह किया है कि वह अत्यधिक वर्षा होने पर चिन्हित स्थानों पर रुकें और नदी नालों के समीप न जाएं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी यात्रियों के लिए दिए गए हैं। इधर पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा के लिए 20 से 25 अगस्त की अवधि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि यात्रा पूरी तरह मौसम पर निर्भर करेगी।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने कल से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है विपक्ष ने कहा—अपात्रों को बांट रहे आपदा राहत, सीएम बोले, जांच कराएंगे, पैकेज के लिए साथ दिल्ली चलो। दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह के हवाले से लिखा है पूरे प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता दे केंद्र सरकार।

पंजाब केसरी के अनुसार मंडी—कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 37 घंटे बाद बहाल, 1 हजार 300 यात्री सुरक्षित निकाले।

हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ देने से इंकार नहीं कर सकते।